# दुर्लभ राइनो को मारकर राइनो का संरक्षण

वन्य जीवों के प्रति आजकल की जागरूकता को देखते हुए यह आश्चर्यजनक लगता है कि नमीबिया में एक राइनोसिरस को मारने का लायसेंस यह कहकर दिया गया है कि इससे राइनो के संरक्षण में मदद मिलेगी। टेक्सास स्थित डैलास सफारी क्लब ने हाल ही में एक बूढ़े काले राइनोसिरस को मारने का लायसेंस 3 लाख 50 हज़ार डॉलर में नीलाम किया है। और तो और, इस नीलामी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) का समर्थन मिला है। आईयूसीएन का कहना है कि इससे झुंड में राइनो प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि काले राइनो की आबादी तेज़ी से घटी है और तीन पीढ़ी पहले की अपेक्षा इनकी आबादी 90 प्रतिशत तक कम हुई है। अतः आईयूसीएन ने काले राइनो (*डाईसेरॉस बाईकॉर्निस*) को अत्यंत ज़ोखिमग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। इसी की एक उप-प्रजाति पश्चिमी काले राइनो को तो 2011 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया जा चुका है।

सवाल यह उठता है कि फिर एक राइनो को मारने की इज़ाजत क्यों दी गई। एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि इससे राइनो संरक्षण के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। इस मामले में आईयूसीएन के टिकाऊ उपयोग व आजीविका विशेषज्ञ समूह की रोसी कूनी का कहना है कि "शिकार राइनो संरक्षण के लिए धन जुटाने का एक कारगर तरीका है।" उक्त लायसेंस की नीलामी से प्राप्त राशि नमीबियन गेम प्रोडक्ट ट्रस्ट कोश में जाएगी। यह कोश नमीबिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इसके पैसे से अवैध शिकार के खिलाफ गश्त का काम होता है।

आईयूसीएन का यह भी मत है कि जिस राइनो के शिकार का लायसेंस दिया गया है उसकी मृत्यु से राइनो की आबादी बढ़ने में सहायता मिल सकती है। खास तौर से जो आबादियां भौगोलिक रूप से अलग-अलग हैं मगर अब भी परस्पर प्रजनन करती हैं, उनमें संतानोत्पत्ति बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि जिस राइनो को मारने का लायसेंस दिया गया है वह अपने झुंड में दबदबा रखता है और अन्य नरों को प्रजनन में हिस्सा नहीं लेने देता है। यहां तक कहा जा रहा है कि जब वयस्क मादाओं की तुलना में वयस्क नरों का अनुपात कम होता है तो मादाओं की प्रजनन दर बढ़ती है।

अलबत्ता, संरक्षण के हिमायती सारे लोग इन तर्कों से सहमत नहीं हैं। मसलन, अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन का मत है कि उक्त बूढ़े नर राइनो के कारण होने वाली गड़बड़ी को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। तथ्य यह कि इस नीलामी ने मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का ही काम किया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अकेले दक्षिण अफ्रीका में तकरीबन एक हज़ार राइनो का अवैध शिकार हुआ था। हालत यह है कि 1970 में अफ्रीका में जहां 65,000 राइनो थे वहीं 1993 में इनकी संख्या मात्र 2300 रह गई थी। फिलहाल करीब 5000 राइनो हैं।

नमीबिया मानता है कि शिकार का लायसेंस देना संरक्षण के उसके प्रयासों के लिए ज़रूरी है। जोखिमग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संधि ने 2004 में नमीबिया को अनुमति दी थी कि वह साल में 5 नर राइनो को मार सकता है। इस साल चार लायसेंस बेचे जाएंगे। आईयूसीएन ने अपने दिशानिर्देश में स्वीकार किया है कि वह इसे "प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समतामूलक बंटवारे और प्रजातियों व उनके प्राकृवासों के संरक्षण का एक औज़ार मानता है।" ***(स्रोत फीचर्स)***